

समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

डा० अरुण कुमार मंडल, पे०-स्व० न्यायमूर्ती राजेश्वर प्र० मंडल, ग्राम-मुरही, थाना+जिला-मधेपुरा सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मधेपुरा के नाम से एक नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 09/1992(मधेपुरा थाना) प्राप्त है, जिस पर शस्त्र संख्या-624 धारित है। श्री मंडल के द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है कि शस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है एवं शस्त्र एवं शस्त्र लाईसेंस रखना नहीं चाहता हूँ तथा उक्त शस्त्र मधेपुरा थाना के मालखाना में जमा है।

अतः डा० अरुण कुमार मंडल से प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में इनके नाम से निर्गत एक नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या 09/1992(मधेपुरा थाना) को रद्द किया जाता है। तथा उस पर धारित शस्त्र संख्या-624 को मधेपुरा थाना के मालखाना में जमा करने की घटनोत्तर अनुमति प्रदान की जाती है। अनुज्ञप्तिधारी को निदेश दिया जाता है कि अपना मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं संबंधित प्रतिप्लान के साथ निर्गत पावना रसीद की एक प्रति जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में तुरंत जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

थानाध्यक्ष मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिनांक-14.10.2010 को जमा किए गए एक नाली बन्दूक सं०-624 को अपने मालखाना में सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वांछित कागजात प्राप्त होने के उपरान्त उक्त आशय की प्रविष्टि संबंधित अनुज्ञप्ति पंजी में कराते हुए अपना हस्ताक्षर पृष्ठांकित कर देंगे।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाए।

जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....132...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक-.....27...../05/2015

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल दण्डाधिकारी, मधेपुरा/थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : डा० अरुण कुमार मंडल, पे०-स्व० न्यायमूर्ती राजेश्वर प्र० मंडल, ग्राम-मुरही, थाना+जिला-मधेपुरा सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।